(158)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 166-दो/2014 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 29-7-2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर सीधी - प्रकरण कमांक 229/2011-12 निगरानी

सुवंश प्रसाद पटैल पुत्र रामगरीव पटैल
ग्राम पड़खुरी 586 तहसील चुरहट
जिला रीवा मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1- रामाधार गुप्ता पुत्र रामऔतार गुप्ता
2- अच्छेलाल साकेत पुत्र संपत्ति साकेत
3- रामनाथ साकेत पुत्र संपत्ति साकेत
4- रामसजीवन साकेत पुत्र बिन्द्रा साकेत
5- रामसिया साकेत पुत्र बिन्द्रा साकेत
6- मुस. सोनिया पत्नि स्व. संपत्ति साकेत
सभी ग्राम पड़खुरी 586 तहसील चुरहट
जिला रीवा मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम.के.अग्निहोत्री)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राकेश तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक २९-०१-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 229/2011-12 निगरानीमें पारित आदेश दिनांक 29-7-13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव अनावेदक कमांक 2 व 3 के पिता तथा 4 व 5 के चाचा एंव 6 के स्व. पति के बीच चंकबंदी एंव सुविध की दृष्टि से कृषि भूमि का विनिमय होने का तथ्य बताकर तहसीलदार चुरहट के समक्ष अमल हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर से प्रकरण कमांक 86–अ/2006–07 पंजीबद्ध किया गया एंव पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 20–5–2010 पारित हुआ एंव विनिमय के आधार पर नामान्तरण आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चुरहठ के समक्ष अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने अपील प्रकरण कमांक 161/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 23–9–10 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि भूमि विनिमय नामा रजिस्टर्ड (इम्पाउन्ड) होने के वाद पुनः आदेश पारित किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 229/11–12 में पारित आदेश दिनांक 29–7–13 से निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार चुरहट ने प्रकरण कमांक 86 अ–6/2006–07 में दिनांक 20–5–10 को निम्नानुसार निर्णय दिया है :–

"अनुविभागीय अधिकारी महोदय के अपीलाधीन आदेश दि. 29–3–10 के अनुसार बदलीनामा को इम्पाउन्ड हेतु कलेक्टर महोदय स्टाम्प की ओर भेजा जाय।" कलेक्टर आफ स्टाम्प से प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 19–1–11 में इस प्रकार निर्णय दिया है

" चूँकि स्टाम्प शुल्क एंव पंजीयन शुल्क जमा हो चुका है कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण समाप्त होकर दा0रि0 हो । "

तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–1–11 के विरुद्ध अपील/निगरानी नहीं हुई है जो आज की स्थिति में अंतिम है जबकि अपर कलेक्टर के समक्ष तहसीलदार चुरहट द्वारा प्रकरण क्रमांक 86 अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 20–5–10 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत हुई है, जिसमें उपखंड अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 29–3–10 में सुधार के निर्देश दिये गये है, जबकि तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 29–3–10 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का पालन किया जा चुका है आदेश दिनांक 19–1–11 से अन्य कार्यवाही करवा दी है एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–1–11 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो जाने के कारण अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 29–7–13 निष्फल एंव व्यर्थ है जिसे स्थिर रखा जाना उचित नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर सीधी द्वारा प्र0क0 229/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–7–13 दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है फलतः अनुविभागीय अधिकारी चुरहट एंव तहसीलदार चुरहट द्वारा पारित किये गये आदेश यथावत् रहते हैं।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर